BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biadabihar.in,Email- biada-gov@gov.in Phone: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय-आदेश

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन) अधिनियम, 2017 की कंडिका 5.(3क) एवं दिनांक 15.11.2018 को आयोजित बियाडा निदेशक पर्षद की 55वीं बैठक के अनुपूरक कार्यावली संख्या-01 में लिए गए निर्णय के आलोक में बहिर्गमन नीति को निम्नांकित प्रकार से लागू किया जाता है:-

a. यदि कोई इकाई, जिन्होंने भूमि आवंटन के समय पूर्ण राशि दे दी है, उनको भूमि मद में जमा की गई राशि में से 0.5% प्रतिमाह की दर से शुल्क कटौती कर शेष राशि बियाडा उन्हें वापस कर देगी और उस भूमि का स्वामित्व बियाडा ले लेगी।

b. जिन्होंने 30% की राशि आवंटन के समय भुगतान किया है, उनसे 30% का 0.5% एवं शेष 70% जो बकाया है उसका 1% प्रतिमाह की दर से शुल्क कटौति करते हुए शेष राशि उद्यमी को वापस कर भूमि का स्वामित्व बियाडा ले लेगी।

c. यदि आवंटी तीन साल तक इसका लाभ नहीं उठाते तो भूमि का आवंटन रद्द करते हुए उनके द्वारा जमा राशि (if any) बियाडा जब्त कर लेगी तथा भूमि का स्वामित्व ग्रहण कर लेगी।

d. The above shall be without prejudice to the BIADA's right to cancel allotment of plot in terms of BIADA Act for reasons recorded in writing.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

25/11/18

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक:-5885/P. दिनांक 27/11/18

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/तकनीकी परामर्शी/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी/आई0 टी0 शाखा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

O/C

प्रबंध निदेशक।